संख्या-1892/2006-सोलह-1-13(2)/2005टीसी

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद,
नई दिल्ली।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 01 अगस्त, 2006

विषयः प्रदेश में सत्र 2006-07 से निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली अभियंत्रण एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित संस्थाओं के संचालन के लिए नई संस्थाओं की स्थापना हेतु राज्य सरकार की अनापत्ति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1646/2006-सोलह-1-13(2)/2005टीसी, दिनांक 11 जुलाई, 2006 के क्रम में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि अनापत्ति प्रदान किये जाने विषयक कालम-1 में उल्लिखित सोसाइटी के पत्र पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश में सत्र- 2006-07 से निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाली कालम-2 में उल्लिखित नवीन अभियंत्रण संस्था को उसके सम्मुख लिखित पाठ्यक्रम हेतु राज्य सरकार की अनापत्ति प्रदान की जाती है :-

सोसाइटी का नाम	संस्था का नाम	संस्तुत / अनुमोदित पाठ्यक्रम
1	2	3
उत्थान सेन्टर फार सेंसटेविल डेवलपमेंट एण्ड पावरटी एलीवेशन	शम्भुनाथ इंस्टीट्यूट फार फार्मेसी, इलाहाबाद	1. बी0फार्मा0-60

2- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्था में भूमि, भवन, अवस्थापना, उपकरण तथा स्टाफ एवं उनके वेतन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही होंगे तथा प्रवेश क्षमता के संबंध में कोई भी परिवर्तन बिना राज्य सरकार की अनापत्ति प्राप्त किये अनुमन्य नहीं होगा। संस्था में प्रवेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। राज्य सरकार या उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय के द्वारा इन संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में प्रवेश का आवंटन सुनिश्चित किया जायेगा। प्रवेश में प्रबंध समिति या उससे संबंधित किसी प्राधिकारी का कोटा राज्य सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जायेगा। संस्था को राज्य सरकार द्वारा आरक्षण नीति के अन्तर्गत समय-समय पर जारी किये जाने वाले नियमों / आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करना होगा। संस्थायें राज्य सरकार द्वारा शुल्क निर्धारण के संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार छात्रों से शुल्क प्राप्त करेंगी। संस्था का प्रबंधतंत्र अभातशिप के द्वारा निरूपित पद्धति के आधार पर गठित किया जायेगा, जिसमें कम से कम दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित किये जायेंगे। राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि जहाँ किसी बिन्दु पर भ्रम या संदेह हो आवश्यक निर्देश जारी करेगी। इन निर्देशों के पालन के लिए ट्रस्ट / सोसाइटी बाध्य होगी ।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) कुलपति, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
(2) सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली ।
(3) रीजनल आफिसर, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, उत्तरी क्षेत्र, कानपुर।
(4) कुलसचिव, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
(5) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।
(6) संबंधित सोसाइटी / ट्रस्ट / संस्था को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
विशेष सचिव

GO-2006-111